उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 194वीं बैठक दिनांक 29.07.2006 का कार्यवृत्त

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 194 वीं बैठक परिषद अध्यक्ष श्री चितरंजन स्वरूप की अध्यक्षता में हुई जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए :-

1.	श्री चितरंजन स्वरूप	अध्यक्ष, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	अध्यक्ष
2.	सुश्री सुनन्दा प्रसाद	प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग उ0प्र0 शासन	सदस्य
3.	श्री के0एल0 मीना	सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ0प्र0 शासन।	सदस्य
4.	डॉ0 एम0ए0ए0खान	आवास आयुक्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
5.	श्री एम0एम0 खान	विशेष सचिव, प्रतिनिधि सचिव नगर विकास उ0प्र0 शासन	सदस्य
6.	श्री पी0के0 जैन	चीफ इंनीजिनियर प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 जल निगम	सदस्य
7.	श्री राज कुमार गर्ग	उप निदेशक,प्रतिनिधि सी0बी0आर0आई0 रूड़की,	सदस्य
8.	श्री एस0एन0राम	मुख्य अभियन्ता उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य

विशेष आमंत्री

9.	श्री एच0डी0 सिंह	वित्त नियन्त्रक उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
10.	श्री सी0एन0 हर्डे	मुख्य वास्तुविद नियोजक उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

सर्वप्रथम आवास आयुक्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद ने निदेशक मण्डल तथा आवास एवं विकास परिषद की ओर से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया तथा परिषद के समक्ष प्रस्तुत परिषद की 194 वीं बैठक हेतु वर्ष 2006-07 में माह जून 06 तक उपलब्धियों का संक्षिप्त

विवरण पढ़कर सुनाया। इसके पश्चात परिषद बैठक सम्पन्न हुई जिसमें विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार निर्णय लिये गये।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 194वीं बैठक दिनांक 29.07.2006 का कार्यवृत्त

मद सं0	विषय	निर्णय
194/1	परिषद की 193वीं बैठक दिनांक 29.05.2006 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	परिषद की 193 वीं बैठक का कार्यवृत्त पढ़कर सुनाया गया, जिसकी पुष्टि की गयी।
194/2	परिषद की 193वीं बैठक दिनांक 29.05.2006 की अनुपालन आख्या।	अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी। 1. मद संख्या 193/2 के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि भवनों के ब्याज दरो को कम करने की कार्यवाही की जाये, विशेष कर ई.डब्लू.एस., एल.आई.जी. भवन। 2. मद संख्या 193/4 के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि कार्य प्रभारित कर्मचारियों का वेतन भुगतान प्रोजेक्ट में प्राविधानित 2.5 प्रतिशत धनराशि से किया जाना चाहिए।अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा लगभग 200 करोड़ रूपये कार्य का लक्ष्य है, जिससे कार्य प्रभारित कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु लगभग पांच करोड़ रूपये उपलब्ध हो पायेगें। परन्तु अधिक कार्य प्रभारित कर्मचारियो के होने के कारण इनके वेतन का व्यय भार लगभग 14 करोड़ रूपया आ रहा है। निर्देश दिये गये कि मुख्य अभियन्ता इस समस्या के निदान के लिए :– (क) कार्य को बढ़ाये । (ख) कार्य प्रभारित कर्मचारियों में अधिकतर के आयु प्रमाण पत्र उपलब्ध नही हैं। यह निर्णय लिया गया कि ऐसे कर्मचारियों का मेडिकल बोर्ड द्वारा आयु

		सत्यापित कराई जाये व 50 वर्ष से ऊपर के कर्मचारियों को सेवा मुक्त किया जाये। 3. 193/7, 193/8, 193/9, 193/10, निर्देश दिये गये कि इन प्रकरणो पर सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो का भी अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये। 4. 193/11 के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि सामुदायिक क्लब (community club) के स्थान पर सामुदायिक केन्द्र (community Center) नाम रखा जाये।

प्रशासन अनुभाग

194/3	शासकीय कर्मियो की भॉति 01 जुलाई 2004, 01 जनवरी 2005 एवं 01 जुलाई 2005 की महगाई भत्ते की दरें परिषद कर्मियों को अनुमन्य किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।	अनुमोदन करते हुए निर्देश दिये गये कि सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की स्वीकृत भी प्राप्त कर ली जाये।
194/4	परिषद कर्मियों को 1 जरवरी, 2006 से शासकीय कर्मियों की भॉति मंहगाई भत्ता अनुमन्य किए जाने के संबंध में।	अनुमोदन करते हुए निर्देश दिये गये कि सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की स्वीकृत भी प्राप्त कर ली जाये।
194/5	परिषद कर्मियों को शासकीय कर्मियों की भॉति मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर मॅहगाई भत्ते का मॅहगाई वेतन में परिवर्तन की तिथि 01 अप्रैल 2005 के स्थान पर 01 अप्रैल 2004 से संशोधित किए जाने के संबंध में।	अनुमोदन करते हुए निर्देश दिये गये कि सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की स्वीकृत भी प्राप्त कर ली जाये।
194/6	परिषद कर्मियों को 01 अप्रैल 2005 से शासकीय कर्मियों की भॉति मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर मॅहगाई भत्ते का मॅहगाई वेतन में परिवर्तन की सुविधा अनुमन्य किए जाने के संबंध में।	अनुमोदन करते हुए निर्देश दिये गये कि सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की स्वीकृत भी प्राप्त कर ली जाये।

भूमि अर्जन अनुभाग

194/7	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–4, मथुरा की धारा–28 के प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
194/8	महोली योजना, मथुरा में सिविल अपील संख्या 15399/1996 सत्यपाल व अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय	निर्णय लिया गया कि श्री सत्यपाल की वर्तमान में रिक्त भूमि विकास शुल्क लेकर इस

	द्वारा दिनांक 26.11.96 को पारित निर्णय के अनुपालन के संबंध में।	शर्त पर समायोजित की जाये कि उनके द्वारा मा0 न्यायालय में चल रहे वाद वापस ले लिये जायेंगे तथा भूमि का कोई प्रतिकर देय नही होगा।
194 / 9	परिषद की योजना संख्या–9, अलीगढ़ में स्थित खसरा संख्या 3757 क्षेत्रफल 1–6–0 बीघा भूमि को, आसुधार शुल्क लेकर अर्जनमुक्त किए जाने के संबंध में।	निरस्त किया गया।
194 / 10	दिल्ली रोड विकास एवं गृह स्थान योजना संख्या–10, सहारनपुर की भूमि के संबंध में।	अनुमोदन किया गया। यह भी निर्देश दिये गये कि भविष्य में नियोजन समिति की संस्तुति व धारा–31(1) का प्रस्ताव परिषद के समक्ष एक साथ प्रस्तुत किया जाये।
194 / 11	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं में व्यक्तिगत / संस्थाओं / सहकारी आवास समितियों की भूमि के समायोजन हेतु भूमि विवाद समाधान समिति के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
194 / 12	भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना बलरामपुर की धारा–31 (1) की स्वीकृति के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।

संपत्ति प्रबन्ध अनुभाग

194 / 13	मैनपुरी योजना संख्या–1 में मिनी मध्यम आय वर्ग भवन संख्या 5 / 178 के विलम्ब शुल्क माफी के संबंध में।	50 प्रतिशत बिलम्ब शुल्क माफ करने का निर्णय लिया गया।
194 / 14	अनिस्तारित निर्मित आवासीय / व्यवसायिक संपत्तियों के निस्तारण के संबंध में।	अनुमोदित करते हुए निर्देश दिये गये कि सभी सम्बन्धित को Clarification जारी कर दिया जाये।

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

194 / 15	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में आवासीय भूखण्ड संख्या 12 / 625 तथा 12 / 625 / 1 के मध्य स्थित 6 मीटर चौड़ी सड़क का भू–उपयोग आवासीय में परिवर्तित किया जाना।	स्थगित किया गया।

सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग

194 / 16	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद स्थित भवन संख्या–16 /244 के आबंटन के संबंध में।	निरस्त किया गया।
194 / 17	ट्रांस यमुना योजना प्रथम चरण आगरा में आवंटित अल्प आय वर्ग के भवनों का 10 प्रतिशत तत्काल शुल्क की धनराशि को माफ करने के सम्बन्ध में।	निरस्त किया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

194 / 18	वसुन्धरा योजना संख्या–3, गाजियाबाद के खसरा संख्या–368 / 1 क्षेत्रफल 2–1–6 बीघा भूमि को अर्जन से मुक्त करने के संबंध में।	प्रकरण न्यायालय से भी निर्णित हो चुका है। निरस्त किया जाये।
194 / 19	मझोला भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–4 भाग–2 मुरादाबाद में समाविष्ट खसरा संख्या 970, 973, 974, 975, 976, 977 / 2, 978 / 3,972 / 1,959 / 1 व 960 / 2 की भूमि के संबंध में।	स्थगित किया गया।
194 / 20	वृन्दावन योजना संख्या–2, लखनऊ में खसरा संख्या 103 की भूमि के संबंध में।	श्री तारा चन्द यादव की 330 वर्ग मी0 भूमि जिसपर भवन निर्मित है तथा श्री राम लाल पुत्र स्व0 सुखदीन यादव की 180 वर्ग मी0 भूमि जिसपर भवन निर्मित है। विकास शुल्क लेकर समायोजित किया जाये।
194 / 21	कमला नगर (घटवासन) योजना आगरा में अर्जित खसरा संख्या 645 रकबा 0–8–14 बीघा भूमि को वर्तमान व्यावसायिक दर पर आबंटित किए जाने के संबंध में।	निरस्त किया गया।
194 / 22	कमला नगर आगरा में समाविष्ट खसरा संख्या 759 व 761 की 600 वर्गमी0 भूमि के संबंध में।	स्थगित किया गया।
194 / 23	कुर्सी रोड विस्तार (विकास नगर) योजना, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम बटहा सबौली परगना व तहसील लखनऊ स्थित खसरा संख्या 270 की क्षेत्रफल 1620 वर्गफुट भूमि के संबंध में।	निरस्त किया गया।
194 / 24	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की इटावा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–1 में श्री सूर्य प्रकाश मिश्र के खसरा संख्या 305 / 2 ग्राम परेड छावनी क्षेत्रफल 2.23 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त / पृथक करने के संबंध में।	स्थगित किया गया।
194 / 25	परिषद की योजना संख्या–1 कानपुर के ग्राम विनायकपुर के अन्तर्गत खसरा संख्या–70 रकबा	निरस्त किया गया।

	1–0–0 बीघा श्रीमती मंजूलता सिंहल की भूमि के संबंध में।	
194/26	परिषद की कमला नगर योजना, आगरा के सेक्टर–6 स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या जी0एच0–6/ 1 के संबंध में।	स्थगित किया गया।
194/27	गाजियाबाद योजना संख्या–3 में समाविष्ट सर्व श्री दयानन्द आदि की भूमि का वास्तविक विकास व्यय के स्थान पर परिषद अधिनियम की धारा–50 के अन्तर्गत बेटरमेन्ट चार्जेज लेने के संबंध में।	वर्तमान नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये।
194/28	परिषद की वृन्दावन योजना संख्या संख्या–1, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम उतरेठिया के खसरा संख्या–380 रकबा 1–1–0 बीघा भूमि के बदले वृन्दावन योजना संख्या–2 लखनऊ में खसरा संख्या 405, 406 एंव 407 की 1–1–0 बीघा भूमि श्रीमती शीलू प्रकाश, अध्यक्ष ए0एस0पब्लिक स्कूल को बेटरमेन्ट चार्ज (Betterment charges) लेकर दिए जाने के संबंध में।	निरस्त किया गया।
194/29	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ (बस्तौली गाजीपुर) में समाविष्ट ग्राम गाजीपुर सइदुलनिशा खसरा संख्या 563 व 564 में समाविष्ट 6400 वर्ग फुट भूमि के संबंध में।	स्थगित किया गया।
194/30	वृन्दावन योजना संख्या–4, लखनऊ में समाविष्ट खसरा संख्या 2659 ग्राम हैवतमऊ मवैया की कुल क्षेत्रफल 1–0–0–0 बीघा भूमि को अर्जन से मुक्त करने के संबंध में।	निरस्त किया गया।
194/31	भूमि खसरा संख्या–516 रकबा 1057 वर्ग गज स्थित औरंगशाहपुर डिग्गी, जागृति बिहार योजना संख्या–6, मेरठ के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
194/32	परिषद की नेहरू नगर योजना देहरादून में स्थित खसरा संख्या 58 क्षेत्रफल 0–10–0बिस्वा एवं खसरा संख्या 68 क्षेत्रफल 0–15–0 कुल क्षेत्रफल 1–5–0 बीघा भूमि के संबंध में।	स्थगित किया गया।
194/33	परिषद की नेहरू नगर योजना देहरादून में स्थित खसरा संख्या 92 व 96 की 1.41 एकड़ भूमि को अर्जन मुक्त/समायोजित करने के संबंध में।	स्थगित किया गया।
194/34	वृन्दावन योजना संख्या–2, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम उतरेटिया के खसरा संख्या 550 की 125ग45 वर्ग फुट भूमि को योजना में समायोजित/अर्जन मुक्त किए जाने के संबंध में।	स्थगित किया गया।
194/35	परिषद की बेतिया हाता दक्षिणी योजना, गोरखपुर में 1.90 एकड़ भूमि अर्जन मुक्त की शर्तों के परिवर्तन के संबंध में।	स्थगित किया गया।

194/36	पीलीभीत बाइपास भूमि एवं गृहस्थान योजना संख्या–7 बरेली के सम्बन्ध में।	निर्णय लिया गया की पाकेट 'ए' की 61.08 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित योजना धारा–32 के अन्तर्गत अधिग्रहित की जा चुकी है परन्तु जिसका कब्जा अभी परिषद को प्राप्त नही है, अधिकांश भाग पर आबादी हो जाने तथा नगर निगम की भूमि के कुछ भाग पर रामलीला होने के दृष्टिगत परित्याग करने हेतु शासन की स्वीकृति प्राप्त की जाये।
194/37	योजना संख्या–1 बुलन्दशहर में समाविष्ट श्री सुन्दर सिंह आदि की भूमि के संबंध में।	निरस्त किया गया।
194/38	परिषद की नेहरू नगर देहरादून में स्थित खसरा संख्या–58 क्षेत्रफल 0–10–0 विस्वा एवं खसरा संख्या–68 क्षेत्रफल 0–15–0 विस्वा का कुल क्षेत्रफल 1–5–0 बीघा भूमि के संबंध में।	निर्णय लिया गया कि खसरा संख्या 58 में 0.13 एकड़ (500 वर्ग मीटर) भूमि पर पक्का गुरूद्वारा निर्मित है जो एक धार्मिक प्रयोजनार्थ होने के कारण जनमानस की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए योजना में समायोजित किया जाये एंव खसरा संख्‍ 58 की अवशेष भूमि तथा खसरा संख्या 68 की कुल भूमि पर स्थित अवैध निर्माण को हटवा कर स्वीकृत ले–आउट प्लान के अनुसार निर्माण एंव विकास कार्य कराया जाये।
194/39	अरतौनी भूमि विकास एंव ग्रह स्थान योजना–5 आगरा की भूमि अधिग्रहण करने के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
194/40	समानता के आधार पर लेखा संवर्ग की भॉति लिपिकीय संवर्ग का वेतनमान संशोधित कर उत्पन्न असमानता के निवारण के संबंध में।	शासन को पुनः संदर्भित किया जाये।
194/41	दिल्ली बुलन्दशहर बाई पास मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (प्रताप विहार), गाजियाबाद से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को 40 एकड़ भूमि दिए जाने के संबंध में।	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को 40 एकड़ भूमि इस शर्त के साथ दिये जाने का निर्णय लिया गया कि पहले गाजियाबाद विकास प्राधिकरण वसुन्धरा योजना गाजियाबाद से पूर्व में दी गयी 50 एकड़ भूमि से

		सम्बन्धित डिक्रीटल धनराशि लगभग 6 करोड़ रूपया तथा वर्तमान भूमि का मूल्य आवास विकास परिषद को अग्रिम के रूप में उपलब्ध करायेगी।
194/42	बहराइच–भिन्गा मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना बहराइच की धारा–31 (1) की स्वीकृति के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
194/43	अकबरपुर–आजमगढ़ मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–1 अकबरपुर, अम्बेडकर नगर की धारा–31 (1) की स्वीकृति के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
194/44	दिल्ली बुलन्दशहर बाई पास मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (प्रताप विहार योजना), गाजियाबाद महाराजी एजूकेशनल ट्रस्ट गाजियाबाद की भूमि को योजना से पृथक/अर्जनमुक्त किए जाने के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
194/45	सिकन्दरा योजना आगरा के सेक्टर 16–ए में माननीय विधायक श्री प्रताप चौधरी को आबंटित आवासीय भूखण्ड संख्या 16 ए/301 के स्थान पर सेक्टर 4 में आबंटित करने के संबंध में।	वर्तमान नियमो के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये।
194/46	इन्दिरा नगर विस्तार योजना लखनऊ स्थित स्वयं वित्त पोषित भवन संख्या 17/429/2 के विरुद्ध आरोपित विलम्ब शुल्क रू0 74,500.00 माफ किए जाने के संबंध में।	50 प्रतिशत बिलम्ब शुल्क माफ करने का निर्णय लिया गया।
194/47	विकास नगर योजना लखनऊ में मध्यम आय वर्ग भवन संख्या 4/561 के विरुद्ध देय ब्याज माफ करने के संबंध में।	ओ0टी0एस0 का लाभ दिया जाये। ओ0टी0एस0 के अन्तर्गत गणना करके आगणन शीट अध्यक्ष एंव प्रमुख सचिव सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को अवलोकित करायी जाये।
194/48	इन्दिरा नगर योजना लखनऊ स्थित भूखण्ड संख्या बी–1833/1 का भू–उपयोग आवासीय से व्यावसायिक में परिवर्तित किया जाना।	निरस्त किया गया।
194/49	इन्दिरा नगर विस्तार योजना लखनऊ में समायोजित ग्राम इस्माईल गंज के खसरा संख्या 101 व 102 सेक्टर–12 की भूमि संबंधी माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 9.1.06 के अनुपालन में भू–उपयोग आवासीय से व्यावसायिक परिवर्तन किया जाना।	निरस्त किया गया।

194/50	डा0 इन्दिरा मुद्गल के पक्ष में विकास नगर योजना, लखनऊ में प्रदिष्ट भवन संख्या 10/45 के विरुद्ध देय धनराशि में से ब्याज माफ करने के संबंध में।	ओ0टी0एस0 का लाभ दिया जाये।
194/51	परिषद की अंगूरी बाग योजना, फैजाबाद के मध्यम आय वर्ग भवन संख्या 149 के विरुद्ध संपूर्ण ब्याज माफ करते हुए शेष धनराशि एक मुश्त कराए जाने के संबंध में।	ओ0टी0एस0 का लाभ दिया जाये।
194/52	परिषद की बुद्धि विहार योजना मुरादाबाद में श्री विजय बीर सिंह को आवंटित म0आ0वर्ग भवन संख्या: सी 2/412 के विरूद्ध देय पूर्ण दण्ड ब्याज की माफी के सम्बन्ध में।	ओ0टी0एस0 का लाभ दिया जाये।
194/53	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य मद/विषय। मद 1. गोण्डा गिर्द भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना गोण्डा स्थित खसरा संख्या 421 कुल रकबा 0.05 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में। विषय	अनुमोदित किया गया। 1. परिषद की कालोनी में वृक्षारोपण व अन्य infrastructure को सुदृढ़ किया जाये। 2. शासनादेश सं0 1157/9–आ–3–1999–2 आ.नि/89 दिनांक 9.3.1999 के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि एफ.ए.आर. क्रय को प्रतिबन्धित करने के सम्बन्ध में प्रत्येक 6 माह में सर्वे कर बोर्ड में प्रस्तुत किया जाये।

(शहाबुद्दीन मोहम्मद)
अपर आवास आयुक्त एंव सचिव

(डॉ.एम.ए.ए.खान)
आवास आयुक्त

(चितरंजन स्वरूप)
अध्यक्ष

पुष्टि की गई
अध्यक्ष